मनन किया गया। वादी ने इसी विवादित भूमि बाबत इसी न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर के सक्षम प्रतिवादीगण के विरुद्ध सिविल वाद सं. 26/2018 वर्तमान मे विचाराधीन है, जिसका वादी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र मे भी एवं लिखित कथन मे भी उल्लेख किया है।

वर्तमान वाद पत्र मे जो वाद कथन है तथा जो अनुतोष मांगा गया है, इन्ही वाद कथनों एवं अनुतोष के साथ प्रस्तुत वाद का निर्णय सक्षम न्यायालय से चाहा गया है तथा वर्तमान वाद मे जो वाद बिन्दु कायम किये गये, इन सभी वाद बिन्दुओं का वाद सम्पूर्ण शहादत के इन्ही पक्षकारो के बीच सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जायेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादी द्वारा वर्तमान वाद विधि वर्जित है। एवं इस वाद के प्रस्तुतीकरण हेतु अब कोई वादकरण भी नहीं रहता है। इन परिस्थितियों मे वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 एवं धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है और वाद वादी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम एवं दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 16/11/2018

(हेतराम चौहान)